संख्या 26/2026/697/001-53-1099-099-24-2025

प्रेषक

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक07-08-2026

विषयः- उ०प्र० दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 का इन्टरनेशनल ट्रेड शो, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार पर आने वाले व्यय की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-213/दुग्ध-4/दुग्ध उद्योग अनुभाग/नीति-2022/बजट/2026 -27, दिनांक 13 जुलाई, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 का इन्टरनेशनल ट्रेड शो, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार पर आने वाले व्ययभार की पूर्ति हेतु मदवार अनुपातिक धनराशि रु० 187.05 लाख (रुपये एक करोड सत्तासी लाख पाँच हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उ०प्र० दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 2500.00 लाख में से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उ०प्र० दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 का इन्टरनेशनल ट्रेड शो, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार पर आने वाले व्ययभार की पूर्ति हेतु मदवार अनुपातिक धनराशि रु० 187.05 लाख (रुपये एक करोड सत्तासी लाख पाँच हजार मात्र) दुग्ध आयुक्त के निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

(1) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाईडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ०प्र० का होगा।

(5) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ०प्र० यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(6) प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ०प्र० का होगा।

(7) जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(10) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(11) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ०प्र० का उत्तरदायित्व होगा।

(12) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कर लिया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,87,05,000 (रूपये रुपये एक करोड सत्तासी लाख

पाँच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001021100 उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

Digitally signed by
RAM SAHAY YADAV
Date: 07-08-2026
17:27:09

(राम सहाय यादव)

विशेष सचिव।

संख्या 26/2026/697/001-53-1099-099-24-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0 शासन।

7- दुग्ध विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

8- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAM BOOJH
Date: 07-08-2026
17:50:29

(रामबूझ) ,

अनु सचिव।